रजिस्टर्ड सं. डा. (डी. ...)-73

B
3.3.84

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 18, 1984/माघ 29, 1905
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 18, 1984/MAGHA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि भी सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including orders, bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1984

सा० का० नि० 152—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रधान मंत्री सचिवालय (फोटोस्टेट आपरेटर) भर्ती नियम, 1973 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रधान मंत्री सचिवालय (फोटोस्टेट आपरेटर भर्ती संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रधान मंत्री सचिवालय (फोटोस्टेट आपरेटर) भर्ती नियम, 1973 में :—

(1) जहां कहीं "सचिवालय" शब्द आता है उसके स्थान पर "कार्यालय" शब्द रखा जाएगा,

(2) नियम 4 में, परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(3) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।" ;

(4) अनुसूची में, :—

(क) स्तंभ 10 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।" ;

(ख) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/transfer and percentage, of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion	From amongst Gestetner operator and Daftry (selection grade) with four years' regular service in the grade and Daftry (Ordinary grade) with six years' regular service in the grade in the Directorate of Field Publicity (Headquarters) and its regional Offices. Note : The common list of all the eligible categories for promotion will be drawn up according to prescribed service in the respective grades on interse seniority in their respective grades	Group 'C' Departmental Promotion Committee : 1. Joint Director (Inspection and Evaluation), Directorate of Field Publicity—Chairman. 2. Deputy Director, (Administration) Directorate of Field Publicity —Member. 3. Administrative Officer, Directorate of Field Publicity —Member. 4. Deputy Director, Collected Works of Mahatma Gandhi—Member.	Not applicable.

[No. A—12018/2/82-Admn (DS Films)]

R. D. JOSHI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1984

सा० का० नि० 188—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी, नई दिल्ली में, ज्येष्ठ आशुलिपिक (ज्येष्ठ श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी, नई दिल्ली (ज्येष्ठ आशुलिपिक-ज्येष्ठ श्रेणी) भर्ती नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं — वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ज्येष्ठ आशुलिपिक (ज्येष्ठ श्रेणी) के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम), 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
ज्येष्ठ आशुलिपिक (ज्येष्ठ श्रेणी)	4* 1983 *कार्य भार के आधार पर परि-वर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित अनुसचिवीय)	550-25-750-द०रो० 30-900 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ आशुलिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप महानिदेशक (प्रशा) —अध्यक्ष 2. निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग—सदस्य 3. उप महानिदेशक (आई) —सदस्य	पद पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[संख्या 9/21/82-एस-2/बी (ए)]

जे० एल० माथुर, अवर सचिव

New Delhi, the 24th January, 1984

G.S.R. 188.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Stenographer (Senior Grade) in the All India Radio, New Delhi under the Ministry of Information and Broadcasting namely :—

1. **Short title and commencement** :—(1) These rules may be called the All India Radio, New Delhi (Senior Stenographer—Senior Grade) Recruitment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification** and scale of pay:—The number of the said post, its classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment**, age limit, qualifications etc :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 6 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications :—No person :-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

OR

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post provided that, the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories, in accordance with the orders, issued to the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR SENIOR STENOGRAPHER (SENIOR GRADE) IN MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6(a)	7
Senior Stenographer (Senior Grade)	4* (1983) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'B' (Non-gazetted Ministerial).	Rs. 550-25-750-EB-30-900.	Selection	Not applicable.	Not applicable	Not applicable.

1376 GI/83—12

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By promotion.	Promotion : Senior Stenographers with 5 years' regular service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee : 1. Deputy Director General (A)—Chairman. 2. Director, News Service Division —Member. 3. Deputy Director General (I) Member.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary while making selection for appointment to the post.

[No. 9/21/82/SII/B(A)]

J. L. MATHUR, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1984

सा० का० नि० 189.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रीय फिल्मागार में अनिषय समूह "ग" और समूह "घ" पद/पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के राष्ट्रीय फिल्मागार (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।